भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या-47

उत्तर देने की तारीख-06/02/2023

मध्याह्न भोजन योजना

†*47. एडवोकेट ए. एम. आरिफ़:

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार के संज्ञान में यह आया है कि मध्याह्न भोजन (एमडीएम) योजना के कार्यान्वयन के लिए, एक ओर तो प्रति छात्र आवंटन में संशोधन न होने तथा दूसरी ओर, रसोई गैस और आवश्यक वस्तुओं की कीमतें बढ़ने के कारण, विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है,
(ख) क्या सरकार का देश भर में एमडीएम योजना के लिए प्रति छात्र आवंटन बढ़ाने का इरादा है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं,
(ग) क्या एमडीएम योजना के तहत रसोइयों के मासिक मानदेय में 2009 के बाद से संशोधन नहीं किया गया है;
(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का इसे बढ़ाने का इरादा है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं, और
(ङ) वर्ष 2014 के बाद क्रमश: प्राथमिक और माध्यमिक वर्ग में एमडीएम के लिए प्रति छात्र आवंटन में किए गए बदलावों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

<u>शिक्षा मंत्री</u>

<u>(श्री धर्मेंद्र प्रधान)</u>

(क) से (ड.) : विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

*****

माननीय संसद सदस्य एडवोकेट ए. एम. आरिफ़ द्वारा 'मध्याह्न भोजन योजना' के संबंध में दिनांक 06.02.2023 को पूछे जाने वाले लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 47 के भाग (क) से (ड.) के उत्तर में संदर्भित विवरण

(क) और (ख): पीएम पोषण योजना (जिसे पहले मध्याह्न भोजन योजना के रूप में जाना जाता था) के तहत, केंद्र सरकार ने 2022 में मौजूद सामग्री लागत में 9.6% की वृद्धि करके उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) के आधार पर सामग्री लागत में संशोधन किया है। बाल वाटिका और प्राथमिक कक्षाओं के साथ-साथ उच्च प्राथमिक कक्षाओं के लिए प्रतिदिन प्रति बच्चा संशोधित सामग्री लागत 01.10.2022 से 4.97 रू. और 7.45 रू. की पूर्व लागत के स्थान पर क्रमश 5.45 रू. और 8.17 रू. की गई है। सामग्री लागत, जिसे पूर्व में खाना पकाने की लागत के रूप में जाना जाता था, में सब्जियों, दालों, तेल, मसालों और ईंधन की लागत शामिल है।

इसके अलावा, केंद्र सरकार खाद्यान्न, परिवहन सहायता और प्रबंधन/निगरानी व्यय के लिए 100% वित्त पोषण प्रदान करती है। प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर के लिए खाद्यान्नों की लागत सहित पीएम पोषण योजना के लिए प्रति छात्र मौजूदा लागत क्रमशः 11.38 रूपये और 16.25 रूपये है।

(ग) और (घ): योजना के अंतर्गत, स्कूल में भोजन को पकाने और गर्म पका हुआ भोजन परोसने हेतु रसोइया-सह-सहायकों (सीसीएचएस) को मानदेय प्रदान किया जाता है। उक्त रसोइया-सह-सहायक मानद कार्मिक होते हैं जो समाज सेवा करने के उद्देश्य से अपनी सेवाएँ प्रदान करने के लिए आगे आते हैं। योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार, उनकी सेवाओं को सम्मान प्रदान करने के लिए रसोईया-सह-सहायकों को वर्ष में 10 माह के लिए 1000/- रु. प्रति माह की दर से एक समान मानदेय प्रदान किया जाता है और इसे जारी रखा जा रहा है। मानदेय व्यय को केंद्र सरकार एवं राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के बीच अनुमोदित साझेदारी पद्धति के अनुसार बांटा जाता है। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकारें एवं संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन अपने स्वयं के संसाधनों के माध्यम से अतिरिक्त निधियां उपलब्ध करवा कर मानदेय को बढ़ाकर भी देते हैं।

(ड.): वर्ष 2014 से प्राथमिक कक्षाओं और उच्च प्राथमिक कक्षाओं के लिए सामग्री लागत (जिसे पूर्व में खाना पकाने की लागत के रूप में जाना जाता था) में किए गए परिवर्तनों का विवरण अनुलग्नक में दिया गया है।

<u>अनुलग्नक</u>

'माननीय संसद सदस्य एडवोकेट ए. एम. आरिफ़ द्वारा दिनांक 06.02.2023 को 'मध्याह्न भोजन योजना' के संबंध में पूछे जाने वाले लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 47 के भाग (ड.) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

2014-15 से प्राथमिक कक्षाओं और उच्च प्राथमिक कक्षाओं के लिए सामग्री लागत (जिसे पूर्व में खाना पकाने की लागत के रूप में जाना जाता था) के लिए प्रति छात्र आवंटन में किए गए परिवर्तन का विवरण

वर्ष	सामग्री लागत (जिसे पूर्व में खाना पकाने की लागत के रूप में जाना जाता था)	
	प्राथमिक	उच्च प्राथमिक
2014-15	रू. 3.59	रू. 5.38
2015-16	रू. 3.86	रू. 5.78
2016-17 और 2017-18	रू..4.13	रू. 6.18
2018-19	रू. 4.35	रू. 6.51
2019-20	रू. 4.48	रू. 6.71
2020-21 और 2021-22	रू. 4.97	रू. 7.45
2022-23	रू. 5.45	रू. 8.17

*****